फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट थाना -कादरीगेट

दिनांक - 01.07.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/26 धारा 305/317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी की गई 01 बैटरी सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/26 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. निखिल पुत्र सुनील निवासी रामलीला गड्ढा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ।

घटना का विवरण:- वादी श्री राजीव कुमार पुत्र कोमल सिंह निवासी लालगेट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के बन्द पड़े मकान से अज्ञात चोरो द्वारा विन्डो ए0सी0 का कम्प्रेसर, इन्वर्टर की बैटरी व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व चैकिग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति निखिल पुत्र सुनील निवासी रामलीला गड्ढा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ से छिपने का कारण पूछते हुए तलाशी के दौरान सफेद रंग की बैटरी बरामद की गई। बरामदगी/गिरफ्तार के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त निखिल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अन्य चोरी किया गया समान अपने साथियों के पास बताकर माफी मागंने लगा।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक बैटरी लुमिनस कम्पनी

अभियुक्त निखिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 165/25 धारा 304(2)/317(2)/352 बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
02. उ0नि0 श्री दयानन्द पटेल
03. का0 क्षितिज गौतम
04. का0 प्रदीप कुमार
05. का0 विदेश
06. का0 रवेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक - 01.07.2026

मु0अ0सं0 95/26 धारा 105/115(2)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. सौरभ पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- वादी उदयप्रताप सिंह पुत्र राम सिंह ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि वादी का भाई श्यामवीर प्रताप सिंह उर्फ सोनू बादल पुत्र रामनरायण के यह काम करता था तथा वहीं खाना पीना खाता था। कभी कभार उनके घर रुक भी जाता था। दिनांक 18.6.2026 को वादी के भाई ने बादल उपरोक्त के घर पर खाना खाया तथा देर हो जाने की बजह से घर के बाहर बिजली के खम्भों की बैंच पर लेटा हुआ था। वही पर रात्रि की समय सौरभ पुत्र ओमपाल ने पुरानी रंजिश को लेकर अपने साथियो के साथ मिलकर वादी के भाई को जाति सूचक गालियाँ देते हुए मारपीट करना तथा घायल होने पर वादी के भाई को जिला अस्पताल से हायर सेन्टर रेफर कर दिया जहाँ पर इलाज के दौरान वादी के भाई की मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम सौरभ आदि पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त सौरभ पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अभियोग में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ उपरोक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म से इन्कार करने पर अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 95/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
02. का0 अनूप कुमार
03. का0 पवन कुमार